"पुरातत्वीय मित्र योजना नीति"

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य प्राचीन पुरासंपदा स्थित है। राज्य शासन इसके संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए समुचित प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसके संरक्षण हेतु जनभागीदारी की नितांत आवश्कयता है इससे न केवल इन धरोहरों का अनुरक्षण एवं रखरखाव हो सकेगा साथ ही इसके प्रचार-प्रसार से प्रदेश में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन भी बढ़ेगा जिससे स्थानीय रोजगार की संभावना उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रदेश की समृद्धि भी बढ़ेगी।

वर्तमान में प्रदेश में मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत 445 स्मारक राज्य संरक्षित घोषित किये जा चुके हैं जिनका अनुरक्षण एवं रखरखाव संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा अपने सीमित संसाधनों से किया जाता है। इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्रदेश में 290 स्मारकों को संरक्षित घोषित किया जा चुका है जिनका रखरखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बड़ी संख्या में शैलाश्रय, स्मारक/स्थल एवं पुरासंपदा यत्रतत्र बिखरी हुई है

जिनका पर्याप्त मानवशक्ति न होने के कारण उचित ढंग से रखरखाव नहीं हो पाता है।

वर्तमान में राज्य में 6 राज्य, 13 जिला, 7 स्थानीय एवं 5 स्थल स्तरीय संग्रहालय स्थित हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में जिला पुरातत्व संघ द्वारा भी संग्रहालय संचालित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला पुरातत्व संघ का गठन किया गया है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों की सुरक्षा तथा उन्हें विनाश तथा चोरियों से रोकने में शासन को सहयोग देना एवं भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक, कला एवं प्राचीन मुद्राओं के अध्ययन में प्रोत्साहन एवं खोज में शासन को सहयोग करना तथा संग्रहालयों के विकास हेतु प्रयास करना है।

प्रदेश के राज्य संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों तथा पुरासंपदा आदि के रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिये ‘‘धरोहर के लिये उद्योग: अतीत का संरक्षण भविष्य के लिए‘‘ नामक योजना बनायी गयी थी। इस योजना में मुख्य रूप से संरक्षण कार्य के लिए निधि का गठन किया गया है।

प्रदेश में रोजगार एवं पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से आमजनता को पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों/संग्रहालयों/स्थलों से जोड़े जाने के परिप्रेक्ष्य में पुरातत्वीय मित्र योजना 2015 बनायी गयी है जो निम्नानुसार है:-

1. यह योजना पुरातत्वीय मित्र योजना 2015 के नाम से जानी जायेगी।
2. इस योजना के तहत व्यक्तिगत/व्यक्तियों/समूह/संस्था पुरातत्वीय मित्र के रूप में पंजीकृत हो सकती है।
3. यह पंजीयन एक पुरातत्वीय स्थल/स्मारक/संग्रहालय के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।
4. यह पंजीयन वेब पोर्टल के माध्यम से होगा जिसका निर्माण एवं संधारण ''आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागर एवं संग्रहालय, बाणगंग मार्ग, मध्यप्रदेश, भोपाल-462003'' द्वारा किया जाएगा।
5. यह पंजीयन होने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को आयुक्त, पुरातत्व द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
6. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति/समूह अथवा संस्थाओं के नामांकित सदस्य को आयुक्त, पुरातत्व द्वारा उस स्मारक के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक टूरिस्ट गाईड/पर्यटक मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
7. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति पुरातत्वीय स्थल (संग्रहालयों को छोड़कर) के लिये गाईड के रूप में सेवा दे सकेंगे।
8. ऐसे पुरातत्वीय स्थल के अनुरक्षण के लिये यदि पुरातत्वीय मित्र द्वारा लागत राशि का 50 प्रतिशत का सहयोग नगद अथवा श्रम के रूप में उपलब्ध

कराया जाता है तो राज्य शासन ऐसे पुरातत्वीय स्थलों का प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षण कार्य करायेगा।

9. अनुरक्षण कार्य के 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराये जाने पर ऐसे पुरातत्वीय मित्रों के योगदान का उल्लेख स्मारक-पटल एवं विभागीय प्रकाशनों में किया जाएगा।

10. यह अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों/नियमों के अनुसार ही किये जायेंगे ताकि पुरासंपदा का मूलस्वरूप यथावत बना रहे।

"पुरातत्वीय मित्र योजना" की प्रस्तावित नीति

1- आवेदक का नाम

2- पिता का नाम

3- जन्मतिथि

4- पता

5- मोबाइल नम्बर

6- ई-मेल

7- यदि आवेदक कोई समूह/संस्था है तो नाम

8- पूर्ण पता

9- यदि आवेदक अथवा संस्था प्रमुख/समूह प्रमुख की शैक्षणिक़ योग्यता-
(योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10- पुरातत्व, संस्कृति व इतिहास के क्षेत्र में अनुभव

11- क्या आवेदक प्रस्तावित योजना के अंतर्गत स्मारक के अनुरक्षण में सहयोग दे सकता है यदि हाँ तो
(अ) लागत का 50 प्रतिशत नगद (ब) श्रम के रूप में

12- पुरातत्वीय स्थल/स्मारक/संग्रहालय का चयन किसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक पंजीयन करवाना चाहता है-

13- प्रस्तावित स्मारक की स्थिति-

14- अन्य जानकारी

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक/संस्था अध्यक्ष
या सचिव का नाम